न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 61 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.मोर कंवर बेवा चन्दनसिंह उम्र 50 साल
2.दलपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह उम्र 30 साल
3.वीरसिंह पुत्र चन्दनसिंह उम्र 28 साल
4.झूझारसिंह पुत्र चन्दनसिंह उम्र 26 साल
5.दानसिंह पुत्र चन्दनसिंह उम्र 24 साल
6.अवतारसिंह पुत्र चन्दनसिंह उम्र 22 साल
7.कूंपसिंह पुत्र चन्दनसिंह उम्र 55 साल
सर्वे जातियान राजपूत सर्वे निवसीयान तेजमालता तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 27/2013 बनवान मोरवकंवर वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2014।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 25.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम तेजमालता के खसरा संख्या 777/865 रकबा 40 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादीगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त नहीं होने के कारण ग्राम तेजमालता के खसरा संख्या 777/865 रकबा 40 बीघा भूमि राजकीय दर्ज की गई एवं इनके नाम दर्ज नहीं हुई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 15.10.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई जो समरी की भूमि से अधिक है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वक्त सेटलमेंट में खसरा संख्या 777 रकबा 70.17 बीघा खातेदारी दर्ज थी तथा बाद सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा जिसे काटकर नये खसरा संख्या 777/865 में रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया। ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट/वादीगण की मौके पर रहवासी ढाणीयों टांके बने हुए तथा रेस्पोडेंट/वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यो में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल कम्परेटिव रजिस्टर (Exp-23&24) बमुकाबले समरी बन्दोबस्त सम्वत 2021 ग्राम तेजमालता की प्रविष्टियां इस प्रकार हैः–

समीर सेटलमेंट				हाल सेटलमेंट		
1	2	3	4	7	8	9
क्र.सं.	नाम काश्तकार मय वल्दियत सकूनत	खसरा संख्या मय नाम खेत	रकबा बीघा	नाम काश्तकार मय वल्दियत सकूनत	खसरा संख्या मय नाम खेत	रकबा बीघा
38	सामसिंह गंगासिंह छतरसिंह पि. जेतमालसिंह कौम राजपूत सा. देह जागीरदार खुदकाश्त	116 (नाडा सारला) 79 (ढाणी वाला)	115 बीघा 115 बीघा	छतरसिंह वल्द जेतमालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	571 ढाणी वाला 657 ढाणी वाला 778 नाडा सारला 780 नाडा सारला	04.07 बीघा 18.11 बीघा 55.06 बीघा 09.15 बीघा कुल रकबा 87. 19 बीघा
				सामसिंह वल्द जेतमालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	659 ढाणी वाला 755 नाडा सारला 757 नाडा सारला	32.09 बीघा 01.04 बीघा 69.12 बीघा कुल रकबा 103. 05 बीघा
				गंगासिंह वल्द जेतमालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	654 ढाणी वाला 777 नाडा सारला	53.06 बीघा 30.17 बीघा कुल रकबा 84. 03 बीघा
			महायोग कुल रकबा 230 बीघा			महायोग कुल रकबा 275.07

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेंट/वादीगण के वादपत्र के पद संख्या 02 में अंकन सही प्रतीत होता है। समरी सेटलमेंट में उक्त दोनों खसरों का कुल रकबा 230 बीघा के मुकाबले तत्समय तीन पृथक-पृथक खातेदारों जिनका विवरण उपरोक्त सारणी के कॉलम संख्या 07 में दिया गया है, के नाम खातेदारी में **कुल रकबा 275.07 बीघा दर्ज किया गया है जो 45.07 बीघा बेशी है।** इसमें किसी प्रकार की कटोती(कमी) नहीं की गई है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2013 बअनवान मोरवकंवर वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2014 को खारिज किया जाता है।

25/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner